यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, संयुक्त सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड़, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़,देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, संयुक्त सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड़, देहरादून के माह 08/2016 से 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.07.2020 से 23.07.2020 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग–प्रथम

1. परिचयात्मक– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी0एस0 नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस0के0 डंग,सुपर्वाजर द्वारा दिनांक 08.08.2016 से 16.08.2016 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2013 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2016 से 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र– देहरादून।

(ii)(अ) विगत वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः–

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर–स्थापना		आधिक्य (+)	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016–17	–	–	948.19	516.08	276.72	227.60	–	481.23
2017–18	–	–	734.57	614.52	305.50	207.12	–	218.43
2018–19	–	–	940.45	722.97	312.50	214.44	–	315.54
2019–20	–	–	1000.18	713.35	293.01	217.05	–	362.79
2019–20 (06/2020)	–	–	901.64	186.34	295.43	25.69	–	985.04

(ब)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः–

(रू लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	योग	व्यय	बचत
2017–18	.....शून्य.....					
2018–19						
2019–20						
2020–21 (06/2020)						

(iii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय, संयुक्त सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड़, देहरादून 'सी' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

प्रमुख / सचिव
अपर सचिव / विधिक सहलाकार
गवर्नर हाउसहोड
वित्त नियंत्रक
उप सचिव
वरिष्ठ प्रोग्रामर
सूचना अधिकारी
चिकित्साधिकारी
मुख्य सुरक्षा अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, संयुक्त सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड़, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन–देन–कम–अनुपाल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, संयुक्त सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड़, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02 / 2019, एवं 05 / 2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

.....शून्य.....

भाग 2 ब

प्रस्तर-1 : उत्तराखंड बजट नियमावली के प्रावधानों को ध्यान मे न रखते हुए अविवेकपूर्ण बजट प्राक्कलन के कारण समर्पण।

उत्तराखंड बजट नियमावली के अध्याय 5 प्रस्तर 28 व 29 के अनुसार "The estimating should be as close and accurate as possible and the provision to be included in respect of each item should be based on what is expected to be actually paid or spent during the year. The need for every item must be fully scrutinised before provision for it is included and the amount should be restricted to the absolute minimum necessary. In preparing the estimates, the average of the actuals of the past three years, as also the revised estimates for the current year, should invariably be kept in sight. Para no. 124 of Budget Manual further says that controlling officer must furnish the excess savings in prescribed form no later than 25th January so that Treasury officer could reduce the allotment accordingly."

कार्यालय के बजट संबंधी पत्रावलियों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा उक्त नियमों का पालन न करते हुए वर्तमान लेखापरीक्षा अवधि (वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक) में विभिन्न मदों में कुलआवंटित धनराशि क्रमशा ₹ 1224.91 लाख, ₹ 1040.07 लाख, ₹ 1252.95 लाख एवं ₹ 1293.19 लाख के सापेक्ष ₹ 481.23 लाख ₹ 218.43 लाख ₹ 315.54 लाख एवं ₹ 362.79 लाख का समर्पण किया गया। अभिलेखो मे यह भी पाया गया की कार्यालय ने बचत सम्बन्धी जानकारी 25 जनवरी तक कोषागार को प्रेषित नहीं की।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि बजट के संबंध में भविष्य में वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य	शून्य	शून्य	–	

भाग–IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः–शून्य

भाग–V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड़, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

   तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः– शून्य
2. सतत् अनियमिततायेंः– शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी0डी0ओ0 का कार्यभार वहन किया गया–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	पूनम सिंह सोबती	वित्त नियंत्रक श्री राज्यपाल	05.02.2010	26.04.2016
2	श्री नन्द किशोर पोखरियाल	अनुसचिव	27.04.2016	21.11.2017
3	श्री गजेन्द्र दत्त नौटियाल	अनुसचिव	22.11.2017	14.05.2020
4	श्री जितन्द्र कुमार सोनकर	संयुक्त सचिव	15.05.2020	वर्तमान तक

लघु एवं प्रकियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, संयुक्त सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ए0एम0जी0–III को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III